पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई०पी०एम०–2–01
क्रमांक– 13/2017
स्पोर्ट्स सं0–05/2017
सं0 ई/227/2/भाग–15/चार

दिनांक 9.02–2017

सचिव/महाप्रबन्धक,
सचिव/अपर महाप्रबन्धक,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक,
सभी कार्मिक अधिकारी,
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक,
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/प्रभारी,
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:–भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन की मान्यता।

रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2016/ई(स्पोर्ट्स)/4(3)/9/बॉक्सिंग दिनांक 24.01.2017 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि संलग्न कर सूचनार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक : यथोपरि

(ए० के० सिंह)
उपमुकाधि/अराज
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर –– 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एसोसियेशन/पूरे/गोरखपुर –– 02 प्रतियों में।
4– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एसोसियेशन/गोर०–02 प्रतियों में।
5– मुकार्याधी/एमपीपी को वेबसाइट पर अपलोड हेतु –– 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

Singh/Letter 212

RBE No. 57/2017
Clarification/Corrigendum No. 77

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड) (Railway Board)

No. 2016/E(Sports)/4(3)/9/Boxing

New Delhi, dated 24.01.2017

The General Managers (P),

All Zonal Railways including
CLW, DLW, ICF, RCF, RWP, Metro Railway/Kolkata,
The CAO(R), DMW/Patiala,
The DG, RDSO/Lucknow.

विषय: Recognition of Boxing Federation of India- regarding.
सन्दर्भ: Board's letter no. 2012/E (Sports)/4(1)/1/ Policy Clarifications dated 22.03.2013 – (RBE No. 25/2013).

Vide Board's letter under reference dated 22.03.2013 (RBE No. 25/2013) it was, inter-alia, decided to derecognized Indian Amateur Boxing Federation of India w.e.f. 07.12.2012 since this Federation did not have the necessary recognition of the Ministry of Youth Affairs and Sports.

2. Ministry of Youth Affairs and Sports vide their letter and order No. 9-27/2016-SP-I dated 28.10.2016 has recognized Boxing Federation of India led by Shri Ajay Singh as President as the National Sports Federation (NSF) for promotion of boxing in the country w.e.f. 28.10.2016.

3. In line with the decision of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Railway Sports Promotion Board, for the game of Boxing, accords it recognition to the Boxing Federation of India. Participation and medal winning performance in the events organized by the above Federation after 28.10.2016 may be considered for recruitment, incentives and all other establishments related issues, as per Board's extant policy instructions.

4. Please acknowledge receipt of this letter.

(Bhaskar Roy Chaudhury)
Dy. Director/ Estt.(Sports)

Sanjay.sapb.2015.E(Sports).4(3).9.Boxing

3
13/2017

आरबीई सं. 25/2013
स्पोर्टकोड/पुनिरीक्षण सं. 7

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 24.01.2017

सं. 2016/E(स्पोर्ट्स)/4(3)/3/बॉक्सिंग

महाप्रबंधक (सी),
सभी क्षेत्रीय रेलें
सि.रे.का., पी.रे.का., म.प्र.का., रे.वि.का., आरडीएसओ, पेट्रो रेलवे/कोलकाता सहित
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर), डीएलडब्ल्यू/वाराणसी,
महानिदेशक, आ.आ.सं.सं/वडोदरा

विषय: भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन की मान्यता।
संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 22.03.2013 का पत्र सं. 2012/E(स्पोर्ट्स)/4(1)/1/बॉक्सिंग
एसोसिएशन से (आरबीई सं. 25/2013)

बोर्ड के दिनांक 22.03.2013 (आरबीई सं. 25/2013) के संदर्भाधीन पत्र के तहत् अल्पा अवधि साथ-साथ 07.12.2012 से भारतीय एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन की मान्यता समाप्त करने का विनिश्चय किया गया था, क्योंकि इस फेडरेशन को युवा एवं खेलकूद मामले मंत्रालय से आवश्यक मान्यता प्राप्त नहीं थी।

2. युवा एवं खेलकूद मंत्रालय ने अपने दिनांक 28.10.2016 के पत्र और आदेश सं. 9-27/2013-स्पोर्ट्स के तहत देश में बॉक्सिंग को प्रोत्साहन देने के लिए नेशनल स्पोर्टस फेडरेशन (एनएसएफ) के रूप में श्री अजय सिंह की अध्यक्षता वाली भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन को 28.10.2016 से मान्यता प्रदान कर दी गई है।

3. युवा एवं खेलकूद मामले मंत्रालय द्वारा लिए गए निर्णय की तर्ज पर रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड ने बॉक्सिंग के खेल के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को अपनी मान्यता प्रदान कर दी है। ये मौजूदा नीति अनुदेशों के अनुसार 28.10.2016 के बाद उपर्युक्त फेडरेशन द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने और पदक प्राप्त करने के प्रदर्शनों पर भर्ती करने, प्रोत्साहित करने और अन्य सभी संबंधित मामलों में विचार किया जाएगा।

4. कृपया इस पत्र की पावती दें।

(लक्ष्मीकर सिंह नौटियाल)
उप निदेशक/स्पोर्ट्स (एनएसएफ)